500Rs

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

018222

- 2 AUG 2006

ट्रस्ट

हमकि श्री सुधीर गिरी पुत्र श्री शिव कुमार गिरी, निवासी ई-51 शास्त्री नगर शहर मेरठ व श्री सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह तोमर निवासी सी-22 प्रोफेसर्स क्वाटर्स चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ के है जिन्हे आगे व्यवस्थापक कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये वस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

जोकि व्यवस्थापना धनराशि अकंन 10,000/-रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशी अकंन 10,000/-रूपये को इस उद्देश्यों से हस्तान्तरित कर दी और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशी को आगे दी गयी शक्तियों एंव प्राविधानों के अर्न्तगत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः शान्तिपूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में व्यवस्थापक निम्न प्रकार ट्रस्ट स्थापित करते हैं:---

1. यह कि ट्रस्ट का नाम तिरूमाला एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, होगा।
2. यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय कार्यालय सी-22 प्रोफेसर्स क्वाटर्स चौधरी

For Trimula Educational & Welfare Trust

Secretary

SECRETARY
For Trimula Educational & Welfare Trust

President

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796974

चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ रहेगा परन्तु न्यासीगण की सहमति से ट्रस्ट का कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा इसकी शाखायें भारत वर्ष के अन्य स्थानों पर भी खोली जा सकती हैं।

3. यह कि ट्रस्ट का कोष अंकन 10,000/- दस हजार रूपये है जो व्यवस्थापक द्वारा जमा किये गये हैं और यह कोष ट्रस्ट की सम्पत्ति हो गया है और इसका प्रयोग ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति, जैसा कि इस विलेख में आगे निर्देशित किया गया है, हेतु करेंगे। ट्रस्ट का कोष भविष्य में दान, अभिदान अंशदान भण्डार संग्रह चन्दा वसीयत आदि के द्वारा प्राप्त धन व सम्पत्ति से बनेगा जिसे ट्रस्टीगण अपने अधिपत्य में लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करेंगे।

4. यहकि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतू धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यहकि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

For Trimula Educational & Welfare Trust

Secretary

SECRETARY

For Trimula Educational & Welfare Trust

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796975

6. यहकि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

(2) इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(3) स्कूल कॉलिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतू सभी प्रयास करना।

(5) जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना।

(6) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरत मंद छात्रों के लिये छात्रवृति, सहायता आदि प्रदान करना।

(7) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(8) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतू कार्य करना शहरो में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो खाली पडी भूमि पर वृक्षारोपड कराना ताकि पर्यवरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे न हो पाये।

(9) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

For Trimula Educational & Welfare Trust

Secretary

SECRETARY

For Trimula Educational & Welfare Trust

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) D 796976

(10) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(11) शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(12) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(14) ट्रस्ट की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

(15) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

7. यहकि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

8. यहकि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक, न्यासीगण चाहे जमा रखनें तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यहकि न्यासीगण फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों में किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

For Trimula Educational & Welfare Trust

SECRETARY

Secretary For Trimula Educational & Welfare Trust

President

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796977

10. यहकि अध्यक्ष व सचिव का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदयस्ता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

11. यहकि व्यवस्थापक/ट्रस्टी, ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतू अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करेंगे तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष व उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे अध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा व सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा लेकिन सचिव अपने कार्यकाल से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते है बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा निर्वतमान पदाधिकारीयों का पुनः चयन हो सकता है अध्यक्ष व सचिव उक्त पदाधिकारीयों को उनके कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटा सकते है।

12. यहकि श्री सुधीर गिरी उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व श्री सोमेन्द्र तोमर उक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे।

13. यहकि ट्रस्टीगण पदाधिकारीयों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे :

अध्यक्षः- ट्रस्ट का प्रबन्धन व संचालन ट्रस्ट की समस्त सभाओं की अध्यक्षता करेगा ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने

For Trimula Educational & Welfare Trust

SECRETARY

Secretary For Trimula Educational & Welfare Trust

के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाअध्यक्षः- अध्यक्ष की अनुपस्थिती मे उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समस्त दायित्वो का वहन करेगा।

सचिवः- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशो को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना सभी बैठको को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्ट्रर में लिख अध्यक्ष से सतयापित कराना अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियो को भेजना ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिवः- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

14. यहकि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण कार्य जैसेः- न्यायालय प्रकरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन निर्माण मान्यता सम्बद्धता आदि सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

15. यहकि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रवन्ध एवं संचालन हेतू अपने विवेक के अनुसार प्रवन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसे प्रबन्ध कार्यो उद्देश्यो के संचालन व पूर्ती के लिये जो अधिकार ट्रस्टी उचित समझे से प्रदान करने की शक्ति होगी साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव व उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रवन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

16. अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे/उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव होगें और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

For Trimula Educational & Welfare Trust

SECRETARY

Secretary

For Trimula Educational & Welfare Trust

'ent

17:- यहकि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा यहकि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

18:- यहकि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहा ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

19:- यहकि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या 1/3 अथवा किन्ही दो ट्रस्टीयो का जो भी अधिक होगा यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती।

20:- यहकि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे उक्त व्यवस्थापको की मृत्यु के बाद इनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ओर यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

21:- यहकि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतू प्राप्त की गयी राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर दलाल एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूमियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथ्वा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

22:- यहकि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यो से सम्बन्धित कार्य हेतू किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

For Trimula Educational & Welfare Trust

SECRETARY

For Trimula Educational & Welfare Trust

Secretary

23:- यहकि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम चालू खाता सावधि जमा खाता सेविंग बैंक खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है परन्तु सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्टस खातों का संचालन तीन पदाधिकारियों के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे।

24:- यहकि ट्रस्टीगण की प्राप्ति व खर्चो का व ट्रस्ट फण्ड उवं सम्पत्तियो का सम्पूर्ण बाजाब्ता हिसाब उचित तरीके से रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

25:- यहकि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियो संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत् कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26:- यहकि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत न हो का प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीक से प्राप्त करने तथा विक्रय करने किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नही होगा।

27:- यहकि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि सम्पत्तियो या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो में सर्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होंगे।

28- यहकि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये समय-समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बन्धक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति का विक्रय

For Trimula Educational & Welfare Trust

SECRETARY

Secretary For Trimula Educational & Welfare Trust

करने का अद्दिकार भी होगा इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

29:-यहकि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियो/परिस्थित्तयों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रो व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

30:- यहकि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियो/परिस्थितयो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

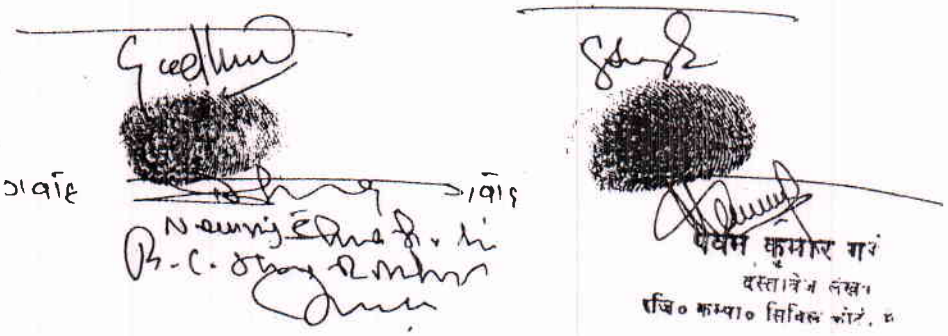

तहरीर तारीख:—07-8-2006ई0मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक,मेरठ।

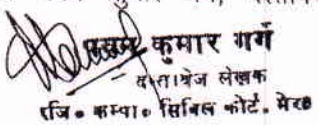

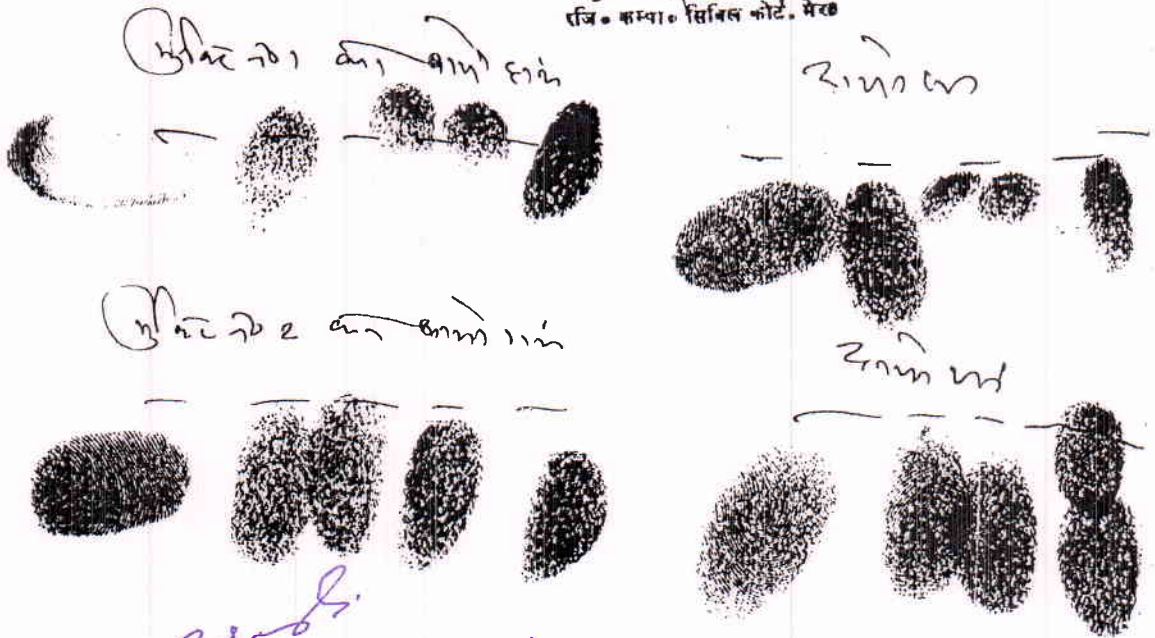

For Trimula Educational & Welfare Trust
Secretary
SECRETARY
For Trimula Educational & Welfare Trust